

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा

पत्रांक 3973 / 331 दिनांक: बांदा: फरवरी: 08 , 2018

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1,
लो0नि0वि0,
बांदा।

विषय — नरैनी-कालिंजर मार्ग चौड़ीकरण प्रस्ताव को ऑनलाइन वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आप द्वारा ऑन लाइन प्रेषित प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/25036/2017 को इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा के कार्यालय में दिनांक 30.01.2018 को प्रेषित कर दिया गया था परन्तु आप द्वारा उक्त प्रस्ताव मात्र 04 प्रतियों में हार्ड कापी के रूप में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। इस कार्यालय के पत्रांक-3947/33-1 दिनांक 07.02.2018 द्वारा आपको प्रस्ताव की 01 अतिरिक्त हार्ड कापी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-3710/33-1 दिनांक 08.02.2018 द्वारा उक्त प्रस्ताव ऑनलाइन दिनांक 08.02.2018 को वापस कर दिया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी उपलब्ध न कराने एवं पत्रावली अपूर्ण होने के कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव आपके स्तर पर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

112

(अरविन्द कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।